

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1088 / 2011 / पाली

सहायक आयुक्त,
वृत्त-सुमेरपुर ।

.....अपीलार्थी.

बनाम्

मैसर्स विजय कुमार मदनलाल, सादड़ी ।

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एन.एस.राठौड़,
उप-राजकीय अभिभाषक ।

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री महेन्द्र दवे,
अधिकृत प्रतिनिधि ।

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक :18.02.2014

निर्णय

1. अपीलार्थी सहायक आयुक्त, वृत्त-सुमेरपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा उक्त अपील उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, (अपील्स-द्वितीय) जोधपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.12.2010 के विरुद्ध पेश की गयी है, जो अपील संख्या 3/आरवेट/पाली/2010-11 के संबंध में है तथा जिसमें अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति ₹33,333/- व कर ₹16,667/- को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किये जाने को विवादित किया है ।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-प्रथम, सुमेरपुर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा दिनांक 29.04.2010 को उपायुक्त (प्रशासन) पाली के निर्देशानुसार मैसर्स विजय एजेन्सी, रणकपुर रोड, सादड़ी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण हेतु जाने पर, वहां यह ज्ञात हुआ कि प्रत्यर्थी व्यवहारी जो कि मैसर्स विजय एजेन्सी, रणकपुर रोड, सादड़ी की एक सहभागी फर्म है द्वारा बीड़ी, सिगरेट का क्रय विक्रय किया जाता है। अतः प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल के सर्वेक्षण हेतु सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा उपायुक्त (प्रशासन) पाली से मौखिक रूप से दूरभाष पर स्वीकृति प्राप्त की गयी । सशक्त अधिकारी द्वारा व्यवसाय स्थल पर मौजूद श्री विजय कुमार गहलोत, प्रोपराईटर के पिताजी श्री मदनलाल, व्यवसाय प्रबंधक की उपस्थिति में व्यवसाय स्थल पर पाये गये बीड़ी व सिगरेट का भौतिक सत्यापन किया गया। भौतिक सत्यापन का बहीयात से मिलान करने पर किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पायी गयी । सर्वेक्षण अधिकारी

लगातार.....2

द्वारा व्यवसाय स्थल पर पायी गयी बिल बुक में से एक लूज पेपर भी पाया गया जिसमें सिगरेट की परचूनी बिक्री दिनांक 05.04.2010 एवम् दिनांक 11.04.2010 की विगत अंकित पायी गयी जिसके अनुसार रू0 83,333/- की सिगरेट विक्रय करना पाया गया परन्तु उक्त किये गये संव्यवहार के संबंध में किसी प्रकार का कोई बिल अथवा चालान नहीं पाया गया । सशक्त अधिकारी ने उक्त कृत्य को करापवंचन के तहत होना अवधारित कर, अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति व कर की कार्यवाही प्रस्तावित कर, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी को स्थानांतरित की गयी । अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा करापवंचन की मंशा के तहत किये गये संव्यवहार को लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं करने के कारण अधिनियम की धारा 61 के तहत कर व शास्ति की कार्यवाही प्रस्तावित कर, नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से श्री मदनलाल, व्यवसाय प्रबंधक ने उपस्थित होकर प्रस्तावित उचंत बिक्री को स्वीकार कर, प्रकरण का निस्तारण शीघ्र करने का निवेदन किया गया। अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर, अधिनियम की धारा 61 के तहत कर व शास्ति आरोपित कर, आदेश पारित किया गया । उक्त पारित आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर ली गयी । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है ।

3. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

4. विद्वान उप-राजकीय अधिवक्ता ने अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी का सर्वेक्षण अधिनियम की धारा 75 के प्रावधानानुसार व राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियमों, 2006 के नियम 51 के प्रावधानानुसार दो गवाहों की उपस्थिति में किया गया था परन्तु विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण के दौरान अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियमों 2006 के नियम 51 की पूर्ण रूप से पालना नहीं किये जाने के आधार पर, पारित आदेश को अपास्त कर दिया है, जो रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत है। इस संबंध में रिकॉर्ड पत्रावली के पृष्ठ संख्या 7 की ओर ध्यानाकर्षित कर, कथन किया कि सशक्त अधिकारी द्वारा अधिनियम के प्रावधानानुसार दो गवाहों की उपस्थिति में सर्वेक्षण की कार्यवाही गयी है । विशिष्ट रूप हस्तगत प्रकरण के संबंध में रिकॉर्ड पत्रावली के पृष्ठ क्रमांक 12 की ओर ध्यानाकर्षित कर कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के मैनेजर श्री मदन लाल द्वारा जारी

नोटिस की पालना में अपराध स्वीकारोक्ति कर, नियमानुसार कर व शास्ति आरोपित करने की प्रार्थना की गयी है। अतः ऐसी स्थिति में, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत 5 आर.टी.जे.एस 60 मैसर्स राजा ग्लास हाऊस व 25 टैक्स अपडेट 20 मैसर्स राजेन्द्र इलैक्ट्रीकल्स में प्रतिपादित विधि के प्रकाश में, अपीलीय आदेश विधिअनुकूल नहीं है। अतः पारित अपीलीय आदेश को अपास्त कर, अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश को पुनर्स्थापित (restore) करने की प्रार्थना की गयी ।

5. प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक द्वारा यह कथन किया गया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा विधिक रूप से अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया है। इस संबंध में प्रारम्भिक आपत्ति यह उठायी है कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 27.5.97 अनुसार कर निर्धारण अधिकारी को सर्वेक्षण से पूर्व उपायुक्त (प्रशासन) की लिखित स्वीकृति आवश्यक थी, जो कि नहीं ली गयी थी। गैर कानूनी रूप से किये गये सर्वेक्षण के आधार पर कोई शास्ति आरोपित नहीं की जा सकती है। तर्क के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 23 टैक्स अपडेट 241 (रा.क.बो.) को प्रोद्धरित किया गया ।

6. गुणावगुण पर कथन किया कि सशक्त अधिकारी द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियमों, 2006 के नियम 51(2) की पालना नहीं की गयी है। मौके पर नियम 51(2) के प्रावधानानुसार दो गवाहों की उपस्थिति में सर्वेक्षण की कार्यवाही नहीं की गयी है। अपने कथन के समर्थन में विद्वान अभिभाषक द्वारा मै0 डायमण्ड मार्केटिंग एजेन्सी, जयपुर बनाम् सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन-प्रथम, वृत्-द्वितीय, जयपुर 19 टैक्स अपडेट पेज 256 (राज.) को प्रोद्धरित किया एवम् कथन किया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समान बिन्दुओं पर तत्कालीन विक्रय कर नियमों के नियम 50 के विधिक प्रावधानों की पालना के अभाव में सर्वेक्षण कार्यवाही को अविधिक घोषित किया है । अतः हस्तगत प्रकरण में भी समान तथ्यात्मक स्थिति विवादित होने के कारण तथा विक्रय कर नियमों, 1995 के नियम 50 व राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियमों, 2006 के नियम 51 के विधिक प्रावधान समान (pari-materia) होने के कारण, माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के आलोक में अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी । अग्रिम अभिवाक् किया कि सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण उनके पिताजी की उपस्थिति में किया गया एवम् उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र के

आधार पर अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा मांग राशियां कायम की गयी है जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है । कथन किया कि उनके पिताजी का व्यवसाय से संबंधित किये गये संव्यवहार के संबंध में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है । उनके द्वारा नोटिस की पालना में दिया गया जवाब अनभिज्ञता वश दिया गया है । अतः उनके पिताजी द्वारा दी गयी स्वीकृति के आलोक में, मांग राशियां कायम करना विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है । विद्वान अभिभाषक द्वारा उक्त आधारों पर अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन कर, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

7. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी । रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया । रिकॉर्ड के परिशीलन से विदित है कि सशक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 29.04.2010 को तत्कालीन उपायुक्त (प्रशासन) पाली से प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल मैसर्स विजय ऐजेन्सी, सादडी के सर्वेक्षण हेतु स्वीकृति ली गई थी जिसकी Sister Zoncarn में बिडी सिगरेट का कारोबार है जिसके लिए दूरभाष से सक्षम अधिकारी उपायुक्त (प्रशासन) से स्वीकृति प्राप्त की। उक्त तथ्य मूल स्वीकृति पर अंकित है एवं तत्समय उपस्थित मैनेजर श्री मदन लाल को दिखाकर उनके हस्ताक्षर लेकर सर्वेक्षण किया गया है, जो व्यवहारिक परिस्थितियों में उपायुक्त (प्रशासन) की स्वीकृति मानी जाती है। अतः प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उठायी गयी सक्षम स्वीकृति के संबंध में उक्त आपत्ति अस्वीकार की जाती है ।

8. जहां तक प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक का यह कथन कि समस्त सर्वेक्षण की कार्यवाही उनके पिताजी की उपस्थिति में की जाकर, उनके द्वारा नोटिस की पालना में जवाब प्रस्तुत कर, गलती स्वीकार करने का प्रश्न है, इस आधार पर की गयी सर्वेक्षण कार्यवाही अविधिक होने का प्रश्न है। इस संबंध में रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि श्री मदनलाल द्वारा सर्वेक्षण अधिकारी के समक्ष दिये गये बयान, फर्द रिपोर्ट व नोटिस की पालना में दिये गये जवाब (रिकॉर्ड पत्रावली के पृष्ठ क्रमांक 12) में स्वयम् को व्यवसाय प्रबंधक घोषित किया गया है। अतः विद्वान अभिभाषक का यह कथन कि उनके पिताजी का व्यवसाय से कोई लेना देना नहीं है, स्वीकार योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त वक्त सर्वेक्षण पाये गये लूज पेपर के संबंध में अधिनियम की धारा 75 का अध्ययन किया गया जिसका मूल पठन इस प्रकार है:-

for

75. Power of entry, inspection and seizure of accounts and goods. -

(1) An assessing authority or any officer not below the rank of Junior Commercial Taxes Officer authorised by the Commissioner in this behalf with such conditions and restrictions as may be specified by the Commissioner, shall have the power—

- (a) to inspect or survey the place of business of a dealer or any other place where it is believed by such authority or officer that business is being done or accounts are being kept by such dealer;
- (b) to direct such dealer to produce accounts, registers and documents relating to his business activities for examination;
- (c) to inspect the goods in the possession of the dealer or in the possession of anybody else on behalf of such dealer, wherever such goods are placed;
- (d) to make search of such place including the search of the person found there, where concealment of facts relating to business is suspected;
- (e) to break open the door of any premises or to break open any almirah, box, receptacle in which any goods, accounts, registers or documents of the dealer are suspected to be concealed, where access to such premises, almirah, box or receptacle is denied;
- (f) to record the statement of the dealer or his manager, agent or servant or to take extracts from any record and to put identification marks on accounts, registers or documents and on any door, almirah, box or receptacle.

Explanation. - There shall be a presumption in respect of goods, accounts, registers or documents, which are found at any place of business of a dealer during any inspection or search, that they relate to his business unless the contrary is proved by him.

9. उक्त के अध्ययन से स्पष्ट है कि व्यवसाय स्थल पर वक्त सर्वेक्षण पाये गये एकाउण्ट, रजिस्टर अथवा दस्तावेजों को व्यवसाय से संबंधित माना जायेगा जब तक कि उक्त के संबंध में किसी प्रकार का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जाता है । इस संबंध में उल्लेखनीय है कि अपीलीय स्तर पर भी पाये गये लूज पेपर के जरिये किये गये संव्यवहार के संबंध में किसी प्रकार के कोई बिल अथवा चालान प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिससे विद्वान अभिभाषक के इस तर्क को बल मिलता हो कि श्री मदनलाल को व्यवसाय के बारे में


कोई जानकारी नहीं थी। यदि ऐसा होता तो प्रत्यर्थी व्यवहारी (प्रोपराईटर) किये गये संव्यवहार के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते थे जिसके अभाव में उचित बिक्री किया जाना प्रमाणित है।

10. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक का यह कथन कि सर्वेक्षण की कार्यवाही दो गवाहों की उपस्थिति में नहीं की गयी विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है क्योंकि सशक्त अधिकारी द्वारा अधिनियम के प्रावधानानुसार दो गवाहों की उपस्थिति में सर्वेक्षण की कार्यवाही गयी है, जो रिकॉर्ड पत्रावली के पृष्ठ संख्या 7 से स्पष्ट है जिसमें दो गवाहों श्री देवाराम पुत्र श्री मूलाराम, पाली व श्री प्रकाश कुमार पुत्र श्री मेघराज माल, पाली के हस्ताक्षर हैं। अतः उक्त तर्क भी सारहीन होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

अतः अब हस्तगत प्रकरण के संबंध में श्री मदनलाल द्वारा नोटिस की पालना में दिये गये जवाब व गलती स्वीकार करने का प्रश्न है, इस संबंध में रिकॉर्ड पत्रावली के पृष्ठ 12 पर उपलब्ध आवेदन पत्र, जो कि प्रत्यर्थी श्री मदन लाल द्वारा प्रस्तुत किया गया है, में अपराध को स्वीकार कर, प्रकरण का निष्पादन शीघ्र करने की प्रार्थना की गयी है। अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के ऊपर प्रोद्धारित न्यायिक दृष्टांत मैसर्स राजा ग्लास हाऊस 5 आर.टी.जे.एस 60 के आलोक में इस संबंध में किसी प्रकार की अग्रिम जांच की आवश्यकता नहीं रह जाती। पुनः इसी विधिक स्थिति को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने मैसर्स राजेन्द्र इलैक्ट्रीकल्स के न्यायिक दृष्टांत 25 टैक्स अपडेट 20 में स्पष्ट कर, यह अवधारित किया गया है कि अग्रिम जांच तब आवश्यक है, जब किसी आरोप के संबंध में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा तथ्यात्मक स्थिति का खण्डन किया जा रहा हो। चूंकि प्रकरण में प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसाय प्रबंधक ने नोटिस के अंकित तथ्य स्वीकार किये गये हैं एवम् मौके पर अपराध स्वीकार कर, शास्ति व कर जमा कराने की पेशकश की गयी है। लिहाजा, इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रोद्धारित न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में तथा उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश अपास्त किया जाकर, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश पुनर्स्थापित (restore) किया जाता है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है।

11. परिणामतः, अपील स्वीकार की जाती है।

12. निर्णय सुनाया गया।


18.2.2014
(मदन लाल)
सदस्य